

प्रेषक,

राहुल भट्टनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- सगरत विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(आयोग) अनुभाग-2

लघुनक्तु : दिनांक : ०८ नवम्बर, 2014

विषय:- येतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के सज्जान में यह आया है कि सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत किये गये कई शासनादेशी/स्पष्टीकरणों के बावजूद ए०सी०पी० का लाभ स्थीकृत करने में कठिनाई यतायी जा रही है जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिकों को उक्त लाभ अनुगमन्य होने गें अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। अतः उक्त कठिनाइयों के निराकरण करने के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के अन्तर्गत समय-समय पर जारी शासनादेशी/स्पष्टीकरणों (शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनांक 04 मई, 2010, स्पष्टीकरण संख्या-वे०आ०-2-3012/दस-62(एम)/2008, दिनांक 29 शितम्बर, 2010, स्पष्टीकरण संख्या-वे०आ०-2-798/दस-62(एम)/2008, दिनांक 30 मई, 2011, शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-253/दस-62(एम)/2008टी०सी०, दिनांक 17 फरवरी, 2011, शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-2104/दस-62(एम)/2008टी०सी०, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011, स्पष्टीकरण संख्या-वे०आ०-2-2118/दस-62(एम)/2008, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011, शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-130/दस-62(एम)/2008, दिनांक 21 फरवरी, 2014, शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-323/दस-62(एम)/2008टी०सी०, दिनांक 11 जून, 2014 तथा शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-377/दस-62(एम)/2008टी०सी०, दिनांक 05 अगस्त, 2014) को एतद्वारा अवक्षित कर उनमें दी गयी व्यवस्थाओं को समेकित कर अनुमध की जा रही विसंगतियों का निराकरण करने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल जसेंद्र य सहर्व स्थीकृति प्रदान करते हैं :—

(1) पुनरीक्षित येतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था

है।

- (9) किसी कार्यिक द्वारा प्रदेश के अन्य राजकीय विभागों गृ समग्र योड वेतन में को गयी नियमित सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना गृ लिया जायेगा, परन्तु ऐसे गामलों में ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ है तथा विभाग के पद पर परीक्षा अवधि (Probation Period) सन्तोषजनकरूप से पूँछ करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा एवं सम्बन्धित लाभ देय हिस्ति ही ही अनुग्रह्य कराया जायेगा।
- (10) केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्थानासी संस्था/सार्वजनिक उपकरण एवं निगम गृ की गयी पूर्ण सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।
- (11) ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन है तु नियमित सन्तोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/वाहय सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सकाम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा। ए०सी०पी० की अनुग्रह्यता है तु रोजगार अवकाश की अवधि को सेवाकाल की गणना में नहीं लिया जायेगा।
- (12) यदि किसी संघर्ष/पद के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था शासनादेशी अथवा सेवा-नियमाधारी के माध्यम से लागू हो तो उस व्यवस्था को अविष्य गृ बनाये रखने अथवा उसके ए०सी०पी० की उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में स प्रशासकीय विभाग द्वारा सकाम स्तर से निर्णय लिया जाए। किसी न है तु समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट तथा ए०सी०पी० की व्यवस्था एक साथ लागू नहीं होगी।
- (13) वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुग्रह्य होने के आधार पर सम्बन्धित के पदनाम, श्रेणी अथवा प्राप्तियति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप अनुमन्य मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन तथा योड वेतन का योग) के आधार पर सेवा-नियमित तथा अन्य लाभ सम्बन्धित कार्यक्रम को अनुग्रह्य होगे।
- (14) यदि किसी कर्मचारी के विषद् अनुशासनात्मक कर्मचारी/आपराधिक कर्मचारी प्रबलन में हो तो ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ गृ अनुग्रह्यता जनितम रूप से निर्णय होने तक स्वागत रहेगी। अनितम विरोध के उपरान्त निर्दीश पाये जाने की दशा गृ अनुमन्यता के दिनांक से वित्तीय स्तरोन्नयन पक्का लाभ देय होगा परन्तु दोषी पाये जाने की दशा गृ स्वीकृति द्वारा कार्यक्रम को दिये गये दण्ड पर विचारोपरान्त देखता के

उदाहरण-2(ii)

इसी प्रकार वेतनमान ₹0 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में साइय वेतन बैण्ड-2 एवं बैड वेतन ₹0 4200/-) के उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 24 वर्ष के आधार पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में ₹0 6500-10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में साइय वेतन बैण्ड-2 एवं बैड वेतन ₹0 4600/-) अनुमन्य हुआ। दिनांक 01 जनवरी, 2006 से उपर्युक्त पद पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड-2 एवं बैड वेतन ₹0 4600/- से अगला वेतन बैण्ड-2 एवं बैड वेतन ₹0 4800/- अनुगम्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में अनुगम्य ₹0 6500-10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में साइय वेतन बैण्ड-2 एवं बैड वेतन ₹0 4600/-) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अगला वेतन बैण्ड-2 एवं बैड वेतन ₹0 4800/- अनुमन्य होगा।

उक्तानुसार अनुमन्य उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के साइय वेतन बैण्ड पर बैड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश सम्बन्धीय-प्र०आ-२-1318/दस-५९(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा तत्काल में समय-समय पर लिंगेत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

શાસનાદેશ સંખ્યા-વે0310-2-773 (1)/દસ-62(એમ)/2008, દિનાંક 05 નવેમ્બર, 2014
યાં સંલગ્નના

उत्तराखण्ड-1

यैतनमान ₹0 4000-6000 (पुनरीक्षित यैतन संरचना में साहश्य यैतन बैण्ड-1 एवं गेड यैतन ₹0 2400/-) के पद पर कार्यरत कार्मिक को 14 वर्ष की सेवा के आधार पर उपर्युक्त पद हेतु उपलब्ध पदोन्नति के पद का यैतनमान ₹0 4500-7000 (पुनरीक्षित यैतन संरचना में साहश्य यैतन बैण्ड-1 एवं गेड यैतन ₹0 2800/-) अनुमत्य हुआ। तदोपरान्त पदोन्नति के पद का यैतनमान संशोधित करते हुए ₹0 5000-8000 (पुनरीक्षित यैतन संरचना में साहश्य यैतन बैण्ड-2 एवं गेड यैतन ₹0 4200/-) का संशोधित/उच्चीकृत यैतनमान अनुमत्य दर्शाया गया। फलस्वरूप उपर्युक्त कार्मिक को पूर्व से स्थीरूप प्रोन्नतीय यैतनमान ₹0 4500-7000 (पुनरीक्षित यैतन संरचना में साहश्य यैतन बैण्ड-1 एवं गेड यैतन ₹0 2800/-) के स्थान पर, पदोन्नतीय पद के यैतनमान में संशोधन/उच्चीकरण के दिनांक से संशोधित/उच्चीकृत यैतनमान ₹0 5000-8000 (पुनरीक्षित यैतन संरचना में साहश्य यैतन बैण्ड-2 एवं गेड यैतन ₹0 4200/-) वैयक्तिक रूप से अनुमत्य होगा।

उत्तरण-2(i)

उत्तरण-2(1) येतनमान ₹० 5000-8000 (पुनरीक्षित येतन संरचना में साइर्य येतन बैण्ड-2 एवं योड येतन ₹० 4200/-) के लिए पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है। उपयुक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 14 वर्ष के आधार पर प्रथम वैयक्तिक अगले येतनमान के रूप में ₹० 5500-9000 (पुनरीक्षित येतन संरचना में साइर्य येतन बैण्ड-2 एवं योड ₹० 4200/-) अनुमत्य हुआ। इस पकार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पद के बीच तथा समयमान येतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से अनुमत्य येतनमान सम्बन्धित पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 14 वर्ष के आधार पर प्रथम येतनमान के रूप में पद हेतु पुनरीक्षित येतन संरचना में निर्धारित साइर्य येतन बैण्ड-2 येतनमान के रूप में अगला येतन बैण्ड-2 एवं योड येतन ₹० 4600/- एवं योड येतन ₹० 4200/- से अगला येतन बैण्ड-2 एवं योड येतन ₹० 4600/- अनुमत्य होने की स्थिति बन रही है। समाप्तवाय उपर कलानीक को पूर्ण से प्रथम अगले येतनमान के रूप में अनुमत्य ₹० 5500-9000 (पुनरीक्षित येतन संरचना में साइर्य येतन बैण्ड-2 एवं योड येतन ₹० 4200/-) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 येतन बैण्ड-2 एवं योड येतन ₹० 4600/- अनुमत्य होगा।

का येड वेतन उच्चीकृत होकर ₹ 4800/- में रखा। इसीलिए अधिकारी पद के ऐसे पदधारक निन्हे दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के पूर्व पर्याम वित्तीय स्तरोन्नत्यन के रूप में येड वेतन ₹ 0 4800/- अनुमन्य हो गया था जहाँ दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से येड वेतन ₹ 0 5400/- में उच्चीकृत कर दिया जायेगा। इस उच्चीकरण के कलस्वरूप वेतन निपाठण में केवल उच्चीकृत येड वेतन का लाभ देय होगा, वेतनवृद्धि देय नहीं होगी। वर्णोंके वेतनवृद्धि का लाभ पर्याम वित्तीय स्तरोन्नत्यन के रूप में येड वेतन ₹ 0 4800/- अनुमन्य होने पर दिया जा चुका है।

उदाहरण-२ एसीडी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नत्यन अनुमन्य होने के आवान्त समूह "ए" (अनुसेवक) के पद पर अनुमन्य वेतन वैष्णव ₹ 0 4440-7440 एवं येड वेतन ₹ 0 1300/- के स्थान पर दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से संशोधित/उच्चीकृत वेतन वैष्णव ₹ 0 5200-20200 एवं येड वेतन ₹ 0 1800/- अनुमन्य किया गया। इस उच्चीकरण के कलस्वरूप समूह "ए" के नीन कर्मचारियों क्रमशः ए, बी तथा सी को जिले रहे वेतनमात्र/समयमात्र वेतनमात्र/वित्तीय स्तरोन्नत्यन के क्रम में संशोधित वित्तीय स्तरोन्नत्यन की अनुमन्यता निम्नानुसार होगी ---

1-	समूह "ए" (अनुसेवक) के पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अनुमन्य वेतन वैष्णव एवं येड वेतन	₹ 0 4440-7440 एवं ₹ 1300/-
2-	दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को अनुसेवक "ए" को अनुमन्य वेतन वैष्णव एवं येड वेतन	
3-	समयमात्र वेतनमात्र की पूर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व (i) अनुसेवक "बी" को प्रथम वैयक्तिक वेतनमात्र के रूप में अनुमन्य वेतन वैष्णव एवं येड वेतन। (ii) अनुसेवक "सी" को वित्तीय वैयक्तिक वेतनमात्र के रूप में अनुमन्य वेतन वैष्णव एवं येड वेतन।	₹ 4440 एवं ₹ 1650/- ₹ 0 5200-20200 एवं ₹ 1900/-
4-	एसीडी० के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से (i) अनुसेवक "ए" को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नत्यन के रूप में अनुमन्य वेतन वैष्णव एवं येड वेतन।	₹ 0 4440-7440 एवं ₹ 1400/-

पदोन्नति उपर्युक्त लाभ प्राप्त करने के प्रारंभिक वेतनमान में अधिक दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् समान/उच्च वेतनमान (साइर्श वेतन ऐप्ट एवं ग्रेड वेतन) में हो जाती है तो तृतीय ए०सी०पी० की अनुमत्यता हेतु ऐसी पदोन्नति का संजान नहीं लिया जायेगा और उसी अनुमत्यता की तिथि को प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

परन्तु,

दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमत्य प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के साइर्श ग्रेड वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानी के सविलियन/पटी के उच्चीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पद के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा पदोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए०सी०पी० की व्यवस्था का लाभ देते सामय संजान में नहीं लिया जायेगा और उसकी कुल सेवावाही को सम्बन्धित पद पर की गयी सेवा जानते हुए ए०सी०पी० का लाभ देय होगा।

- (iv) वरिष्ठ कार्यिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक पदोन्नति/अगला वेतनमान अनुमत्य होने और कनिष्ठ कार्यिक को ए०सी०पी० के रूप में प्रथम/द्वितीय ए०सी०पी० अनुमत्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ का वेतन, कनिष्ठ के सापेक्ष कम होने से उत्पन्न विसंगति के निराकरण हेतु वरिष्ठ का वेतन भी कनिष्ठ के समान विसंगति के दिनांक से कर दिया जायेगा। उपर्युक्त लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्यिक को तभी अनुमत्य होगा जब वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्यिकों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्त समान हो।
- (v) यदि सम्बन्धित कार्यिक दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को धारित पद के समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर यैसा वेतनमान में कार्यरत है तो पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त वैयक्तिक वेतनमान का अनुमत्यता हेतु जिन तदर्थ सेवाओं को गणना में लिया जा चुका है, ए०सी०पी० की व्यवस्था में आगे वित्तीय स्तरोन्नत्यन की अनुमत्यता हेतु गणना में लिया जायेगा। जिन कार्यिकों को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में 08 वर्ष की सेवा के आधार पर वेतनवृद्धि दिये जाने हेतु तदर्थ सेवाओं को जोड़ा गया है, उन्हें ए०सी०पी० का लाभ दिये जाने हेतु भी तदर्थ सेवाओं को जोड़ा जायेगा।

5- ए०सी०पी० की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नत्यन अनुमत्य हेते पर वेतन नियोगित सम्बन्धक-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नत्यन के रूप में अनुमत्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति हेते पर कोई वेतन नियोग नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद

सम्बन्ध में संस्तुति की जायेगी। संविधान कमीटी को संस्तुतियों पर उपरके प्राप्तिकारी द्वारा लिखें जायेगा।

- (15) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूरीतया वैयक्तिक है तो इसका कमीचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। योई कमीष्ठ कमीचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च येतन/योड येतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कमीचारी इस आधार पर उच्च येतन/योड येतन की मोग नहीं करेगा कि उसी कमीष्ठ कमीचारी को अधिक येतन/योड येतन प्राप्त हो रहा है।
- (16) यदि कोई सरकारी सेवक किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु आई भेंट के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस सरकारी सेवक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा नियमित पोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित सरकारी सेवक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नहीं दिया जायेगा। तथापि ऐसे सरकारी सेवक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब तक आईता के होने में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह पोन्नति लेने हेतु सहमति न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु सम्बन्धित की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अधिकी को, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (17) ऐसे सरकारी सेवक जो उच्च पदों पर कार्यरत है और उन्हें निम्न पद के पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर ग्रिल रहे योड येतन के निम्न हैं, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन पद पर कार्यरत रहने की अधिकी तक अनुमन्य नहीं होगा। परन्तु सरकारी सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता कानूनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उपर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार स्तरोन्नयन उच्च पद पर अनुमन्य योड येतन से उच्च है तो सम्बन्धित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से उक्त उच्च पद पर ही अनुमन्य होगा।
- (18) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर सरकारी सेवकों को ५०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के गूँठ पद के आधार पर ५०सी०पी० के अन्तर्गत देय येतन योड में येतन एवं योड येतन द्वावा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के बहाने पद पर अनुमन्य हो रहे येतन योड एवं योड येतन, जो जीवानाद है, को छुनने का विकल्प होगा।

(6) ऐसे मामलों में जहाँ किसी कारणवश प्रौद्योगिकीय/अगले वेतनमान के लिए अनुगमन्य साहश्य वेतन बैण्ड एवं बैड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन अनुगमन्य हो चुके प्रौद्योगिकीय/अगले वेतनमान भी तदनुसार परिवर्तित हो जायेगे। अधीन उक्त परिवर्तन के कलस्याप्त यदि प्रौद्योगिकीय/अगले वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रौद्योगिकीय/अगले वेतनमान के साहश्य वेतन बैण्ड एवं बैड वेतन अनुगमन्य होगा। प्रौद्योगिकीय/अगले वेतनमान विस्तीर्णीकृत होने की दशा में पूर्ण से अनुगमन्य प्रौद्योगिकीय/अगले वेतनमान के साहश्य वेतन बैण्ड/बैड वेतन यथावत बता रहेगा। उदाहरण संलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

4- ऐसे कामिक जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को समयमान वेतनमान की पूर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ दैयकिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं अथवा उक्त लाभ प्राप्त करने के उपरान्त उनकी वास्तविक पटोन्नति जिम्मा वेतनमान में होती है अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् उसी वेतनमान/उच्च वेतनमान में होती है तो एसी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त जिम्मानुसार अनुगमन्य होंगे :--

- (i) समयमान वेतनमान की पूर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्षे तथा 19 वर्षे के आधार पर अनुगमन्य अतिरिक्त वेतनयुद्धि को एसी0पी0 के अन्तर्गत देय द्वितीय स्तरोन्नयन की अनुगमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।
- (ii) जिन्हे समयमान वेतनमान की पूर्ण व्यवस्था में 05/08/14 वर्षे की सेवा के आधार पर प्रथम दैयकिक उच्च वेतनमान प्राप्त हो रहा है उन्हे 5वें लाभ अनुगमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्षे की सेवा सहित कुल 16 वर्षे की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय द्वितीय स्तरोन्नयन अनुगमन्य होगा। ऐसे पदधारक जिनकी पटोन्नति उपर्युक्तानुसार समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् समान/उच्च वेतनमान (साहश्य वेतन बैण्ड एवं बैड वेतन) में हो जाती है तो द्वितीय एसी0पी0 की अनुगमन्यता हेतु ऐसी पटोन्नति का संज्ञान नहीं लिया जायेगा और द्वितीय एसी0पी0 के रूप में वर्तमान में प्राप्त हो रहे बैड वेतन से अगला बैड वेतन देय होगा।
- (iii) जिन्हे समयमान वेतनमान की पूर्ण व्यवस्था में 14/16/18/24 वर्षे की सेवा के आधार पर द्वितीय दैयकिक वेतनमान प्राप्त हो रहा है उन्हे उपर लाभ अनुगमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्षे की सेवा सहित कुल 26 वर्षे की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय द्वितीय स्तरोन्नयन अनुगमन्य होगा। ऐसे पदधारक जिनकी

दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से लागू होगी।

(2) येतनमान ₹0 8000-13500 से निम्न येतनमान के पदों पर लागू समावहत येतनमान की पूर्व व्यवस्था पुनरीक्षित येतन संरचना में दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू रहेगी। इसी प्रकार येतनमान ₹ 8000-13500 अथवा उच्च येतनमान के पदों पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक लागू व्यवस्था पुनरीक्षित येतन संरचना में दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू रहेगी। शासनादेश संख्या दै०३०० २-१३१४/दस-५९(एम)/२००८, दिनांक ०८ दिसम्बर, 2008 का प्रस्तर-१ इस तीस तक संशोधित समझा जायेगा।

(3) पुनरीक्षित येतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोफेशनल (ए०सी०पी०) लागू किये जाने के दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को यदि कोई पदधारक सीधी भर्ती/एक अथवा एक से अधिक पदोन्नति प्राप्त कर पाए के साधारण येतनमान में है और उसे उस पद पर समायमान येतनमान की पूर्व व्यवस्था में कोई लाभ अनुमत्य नहीं हुआ है तो उसे सुनिश्चित कैरियर प्रोफेशनल (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के अन्तर्गत येतनमान में अनुमत्य हो रहे येतन से अगले येतन येतन के रूप में कुल तीन वित्तीय स्तरोन्नयन क्रमशः 10 वर्ष, 16 वर्ष एवं 26 वर्ष की सेवा पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमत्य कराये जायेगे :-

(क) उपर्युक्त श्रेणी के कार्यिकों को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन उक्त पद पर 10 वर्ष की नियमित एवं निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर देय होगा।

(ख) उपर्युक्त श्रेणी के कार्यिकों को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन में अनुमत्य येतन में 06 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा परन्तु जिन्हें प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन 10 वर्ष से अधिक की सेवा पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमत्य हुआ है, उन्हें द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन उक्त पद पर कुल 16 वर्ष की सेवा पर देय होगा, अले ही दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के बाद सम्बन्धित कार्यिक की सेवाएं 06 वर्ष पूर्ण न हुयी हों अथवा समान येतन में पदोन्नत हो चुका हो।

परन्तु यदि उक्त पदधारक की प्रोफेशनल प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के पूर्व दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात होती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन प्रोफेशनल की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय होगी, जिन्हें यदि उसकी प्रोफेशनल प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के पश्चात होती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के दिनांक से 06 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पर देय होगा।

9- समयमान वेतनमान की पूर्ण व्यवस्था में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 30 नवम्बर, 2008 तक वैयक्तिक वेतनमान अनुमत्य होने के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्गिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु निम्नानुसार विकल्प प्रस्तुत करने का आधिकार होगा :--

"समयमान वेतनमान की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-वै0310-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनांक 04 मई, 2010 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर सम्बन्धित पदधारक द्वारा संशोधित विकल्प समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने विषयक विभागीय आदेश के जारी होने के दिनांक से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा। साथ ही ऐसे मामलों जिनमें समयमान वेतनमान पूर्ण में स्वीकृत किया जा चुका है, उनमें विकल्प परिवर्तन इस शासनादेश के निम्नत होने के 90 दिन की अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।"

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

राहुल भट्टाचार
प्रमुख सचिव।

पुष्टांकन संख्या-वै0310-2-2774(1)/दस-62(एम)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थे एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रियत

- 1- महालेखाकार लेखा एव हक्कदारी-। एवं ॥ तथा आडिट। एवं ॥, 30प०, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, सूचना एव जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
- 6- निदेशक, अधिकारी पुनरीक्षण व्य्‌रो, वित्त विभाग।
- 7- समस्त गुरुद्य/वरिष्ठ कोशालिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- 30प० सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9- इरान एव अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- निदेशक, एनोआईसी० एव वित्त विभाग की सेवा स्टॉफ पर छापी हेतु।
- 11- गाहुबुक।



(राहुल भट्टाचार विकल्प)
उप सचिव।

का येड वेतन वित्तीय स्तरोन्नत्यन के रूप में प्राप्त येड वेतन से उच्च है, तो येड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और सम्बन्धित कार्यिक को पदोन्नति के पद का येड वेतन देना होगा विन्तु यदि ऐसी पदोन्नति में वेतन बैण्ड भी परिवर्तित होता है और उपर्युक्तानुसार वेतन निर्धारित किये जाने पर सम्बन्धित पदधारक का वेतन बैण्ड में वेतन उक्त वेतन देने एवं येड वेतन में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित वेतन बैण्ड में वेतन से कम होता है तो उक्त सीधा तक बढ़ा दिया जायेगा।

- 6- (1) वित्तीय स्तरोन्नत्यन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किया जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक स्कीलिंग कमेटी का गठन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। उक्त स्कीलिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्कीलिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा जिनके द्वारा धारित पद का येड वेतन उन कार्यिकों के पद के येड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय स्तरोन्नत्यन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का येड वेतन श्रेणी-ब्य के अधिकारी के येड वेतन से कम नहीं होगा। स्कीलिंग कमेटी के अध्यक्ष का येड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के येड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।

(2) स्कीलिंग कमेटी की प्रत्येक योर्ड के माह जनवरी तथा जुलाई में सामान्यता दो बैठके आयोजित की जायेगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववती माह दिसम्बर तक के मामलों पर विचार किया जायेगा तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववती माह जून तक के मामलों पर विचार किया जायेगा।

(3) उक्त स्कीलिंग कमेटी द्वारा अपनी सस्तुतियों बैठक की तिथि से 15 अवधि में सम्बन्धित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी/वित्तीय स्तरोन्नत्यन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) समस्त विभागों में सम्बन्धित संघर्ष नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा यथास्थ स्कीलिंग कमेटी का गठन किया जा सकेगा।

(5) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नत्यन का साम सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकृत अधिकारी द्वारा विभाग की स्कीलिंग कमेटी की सस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

- 7- ए०सी०पी० की व्यापस्था राजकीय सम्बादों के ऐसे नीतिक पदों पर भी नाम संगी जिन पद राज्य कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूरी व्यापस्था अनुमन्य रही है।

8- ए०सी०पी० की उक्त व्यापस्था राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा में अधिकारियों पर सामू नहीं होगी।

प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में पद के येड वेतन ₹० 4700/- में समान येड वेतन ₹० 4600/- होगा होगा।

(ब) ऐसा पदधारक जो पद के येड वेतन ₹० 4600/- में या उसे येड वेतन ₹० 4600/- वैयक्तिक रूप से मिलता रहेगा और ₹०सी०पी० में नियोजित सेवायापि एवं प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में येड वेतन ₹० 4800/- होगा होगा।

(ग) ऐसे पदधारक जिसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में येड वेतन ₹० 4800/- पाप्त हो चुका था उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में येड वेतन ₹० 5400/- पाप्त होगा।

(7) ₹०सी०पी० की व्यवस्था लागू होने के पश्चात सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त पदधारक की सीधी भर्ती के पद से प्रथम पटोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पटोन्नति पाप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पटोन्नति पाप्त होने के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा।

(8) पुनरीक्षित वेतन सरचना में एक ही सतमे में समान येड वेतन वाले पद पर पटोन्नति होने पर उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन माना जायेगा।

उदाहरण- तहसीलदार के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड-३, ₹० 15600-39100 एवं येड वेतन ₹० 5400/- में कार्यरत पदधारक की पटोन्नति उप जिलाधिकारी वेतन बैण्ड-३, ₹० 15600-39100 एवं येड वेतन ₹० 5400/- के पद पर होने की स्थिति में उसे वित्तीय स्तरोन्नयन माना जायेगा।

परन्तु उक्तानुसार पटोन्नति पाप्त वरिष्ठ कार्मिकारी का वेतन व्यवस्था में लाभान्वित समान पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकारी से कम होने वी दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन किसी बराबर कर दिया जायेगा। उपर्युक्तानुसार वरिष्ठ कार्मिक को किसी समान वेतन तभी अनुमन्य होगा जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्त समान हो।

उदाहरण- वरिष्ठ कार्मिक तहसीलदार के पद पर कार्यरत है और उसकी पटोन्नति उप जिलाधिकारी के समान वेतनमान के पद पर हो जाती है, किन्तु कनिष्ठ कार्मिक तहसीलदार के पद पर ही कार्यरत है और उसे नियोजित सेवायापि पर वित्तीय स्तरोन्नयन ग्रे वेतन बैण्ड-३, ₹० 15600-39100 एवं येड वेतन ₹० 6600/- अनुमन्य हो जाता है और उसका वेतन वरिष्ठ ग्रे तुलना में अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में पटोन्नति पाप्त वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ के बराबर उप जिलांक से कर दिया जायेगा जिस दिनांक से उसका वेतन कनिष्ठ से कम हुआ

(6) ऐसे ग्रामीणों जो जहाँ किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सा या अनुमन्य साइरश्य वेतन बैण्ड एवं बैड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयगाल वेतनमान की व्यवस्था के अधीन अनुमन्य हो चुके प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान को तदनुसार परिवर्तित हो जायेगे। अर्थात् उक्त परिवर्तन के कलाशक्ति को प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि न उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के साइरश्य वेतन बैण्ड एवं बैड वेतन अनुगम्य होगा। प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुगम्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के साइरश्य वेतन बैण्ड/बैड वेतन यथावत बना रहेगा। **उदाहरण संलग्नक-1** पर उपलब्ध है।

**ऐसे पदधारक
जिन्हें
समयगाल
वेतनमान की
पूर्व व्यवस्था
में लाभ जिस
पूर्के हैं, को
ए०सी०पी०
का स्थीरकृत
किया जाना।**

4- ऐसे कार्यिक जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को समयगाल वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं अथवा उक्त लाभ प्राप्त करने के उपरान्त उनकी वास्तविक पदोन्नति जिम्मा वेतनमान में होती है अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् उसी वेतनमान/उच्च वेतनमान में होती है तो ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त जिम्मानुसार अनुगम्य होंगे :--

- (I) समयगाल वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर अनुगम्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए०सी०पी० के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुगम्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।
- (II) जिन्हें समयगाल वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में 05/08/14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम वैयक्तिक उच्च वेतनमान प्राप्त हो रहा है उन्हें उच्च अनुगम्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुगम्य होगा। ऐसे पदधारक पदोन्नति उपर्युक्तानुसार समयगाल वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के उदिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् समान/उच्च वेतनमान (साइरश्य बैण्ड एवं बैड वेतन) में हो जाती है तो द्वितीय ए०सी०पी० की अनुगम्यता हेतु ऐसी पदोन्नति का संज्ञान नहीं लिया जायेगा और द्वितीय ए०सी०पी० के का मै वर्तमान में प्राप्त हो रहे बैड वेतन से अलगा बैड वेतन देय होगा।
- (III) जिन्हें समयगाल वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में 14/16/18/24 वर्ष की सेवा के आधार पर द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त हो रहा है उन्हें उपर लाभ अनुगम्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से त्रितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुगम्य होगा। ऐसे पदधारक जिनकी

रूप में आगणित किया जायेगा। तदनुसार आगणित वेतनवृद्धि की प्राप्त धनराशि वेतन बैण्ड में पाप्त वर्तमाल वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन देय होगा। जहाँ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहाँ भी इसी पदति का पालन किया जायेगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहाँ वेतन बैण्ड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुगम्य उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तदनुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

नोट:- यदि सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। **उदाहरण-** किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जनवरी, 2010 तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी। **उदाहरण-** किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

उदाहरण-1 कोई कानूनिक किसी राजकीय विभाग से गोड वेतन ₹0 4200/- (अथवा समकक्ष वेतनमान) के किसी पद से दूसरे राजकीय विभाग में 08 वेतन ₹0 4200/- (अथवा समकक्ष वेतनमान) के किसी पद पर नियुक्त हुआ। समयमान वेतनमान की पूर्ण व्यवस्था में दो विभागों की सेवाएं न जुड़ी से उसे समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ए०सी०पी० की व्यवस्था में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को उसकी सेवाएं 16 वर्ष से अधिक हो रही है। ए०सी०पी० की व्यवस्था में समान वेतनमान की दो विभागों की सेवाएं जोड़े जाने की व्यवस्था के इहिगत उसे दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता बन रही है। ऐसी स्थिति में उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से मिला हुआ मानते हुए दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किया जायेगा।

उदाहरण-2 किसी अधिकारी की सीधी भती द्वारा नियुक्ति वेतनमान ₹0 2200-4000 में दिनांक 02 फरवरी, 1982 को हुयी। वेतनमान ₹0 2200-4000 (दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित ₹0 8000-13500) में उसे 08 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पर वेतनमान ₹0 10000-15200 दिनांक 02 फरवरी, 1990 से प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त उसे कोई लाभ समयमान वेतनमान में नहीं मिला। ए०सी०पी० की देयता हेतु दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को उसकी सेवाएं 26 वर्ष से अधिक की हो रही है। ए०सी०पी० की व्यवस्था में उसे दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को ही द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन की स्थिति बन रही है। इस दशा में उसे दिनांक 01 से सीधे तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत कर दिय

- (4) सन्तोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कानूनिक स्तरोन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा। अर्थात् अगले वित्तीय एवं अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना में उतनी अवधि जितनी अवधि पूर्ण वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने की गणना में नहीं ली गयी है।
- (5) कठिपय संघर्षों/पदों पर निर्धारित सेवायापि पर अनुमन्य किये गये नान पंचाशनल वैयक्तिक वेतनमान को इनोर करते हुए ए०सी०पी० का लाभ देय होगा। राज्य में उत्तर प्रदेश सचिवालय एवं समकक्षता प्राप्त विभागों के अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव घेड-1 एवं फार्मसिस्ट पदों पर नान पंचाशनल वेतनमान अनुमन्य कराये गये हैं। कलान्तर में उत्तर प्रदेश सचिवालय एवं समकक्षता प्राप्त विभागों के अनुभाग अधिकारी तथा निजी सचिव घेड-1 के पदों का नान

इए देय होगा।

**एक्सीटी०
मी व्यायस्था
मे अगले
येड येतन
का निपारण**

2- निपारित सेवायापि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप मे अनुमन्य होने काम के येतन शासनादेश संख्या वे०आ०-२-१३१८/दस-५९(एम)/२००८, दिनांक ०८ दिसम्बर २००८ के सलग्नक-२३ पर उपलब्ध तालिका के सत्रम-६ के अनुसार अनुमन्यन की तिथि से पूर्य पाप्त हो रहे येड येतन से अगला येड येतन होगा। उक्त तालिका के अनुसार येतनमात रु० २२४००-२४५०० के लिए पुनरीक्षित येतन सरचना मे येतन येड १, रु० ३७४००-६७००० एवं येड येतन रु० १२०००/- तक देय है। शासनादेश संख्या वे०आ०-२-२८७/दस-५९(एम)/०८, दिनांक १६ मार्च, २०१० के द्वारा राजकीय कानूनादिगी को पुनरीक्षित येतन राखना मे पूर्य येतनमात रु० २२४००-२४५०० के लिए दिनांक ०१ जनवरी, २००६ से लागू पुनरीक्षित येतन सरचना मे साहश्य येतन येड ५ (रु० ३७४००-६७०००) एवं येड येतन रु० १२०००/- के स्थान पर येतनमात रु० ६७००० वार्षिक येतनवृद्धि ०३ प्रतिशत की दर से-७९००० दिनांक ०१ जनवरी, २००६ से स्थीकृत किया गया है। उक्त संशोधन के फलस्वरूप ए०सी०पी० की अनुमन्यता येतनमात रु० ६७०००-वार्षिक येतनवृद्धि ०३ प्रतिशत की दर से-७९००० तक होगी। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप मे पाप्त होने वाले येड येतन का उपके पटोन्नति के पद के येड येतन से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी यह सम्भव हो सकता है कि कहीं-कहीं पर ए०सी०पी० मे पाप्त येड येतन एवं पटोन्नति के पद का येड येतन एक समान हो और कहीं-कहीं पर एक समान नहीं भी हो सकता है।

उदाहरण- कनिष्ठ सहायक के पद का येड येतन रु० २०००/- है और उसे पटोन्नति का पद विरिष्ठ सहायक येड येतन रु० २८००/- मे है। कनिष्ठ पद पर १० वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप मे दिसम्बर, २००८ के सलग्नक-२३ की तालिका के अनुसार येड येतन रु० ३७४००-येड येतन रु० २४००/- है। अतः कनिष्ठ सहायक के पद पर १० वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप मे येड येतन रु० २४००/- अनुमन्यता है।

परन्तु ए०सी०पी० की व्यायस्था मे वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप मे अगले येड येतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित येतन सरचना मे येड येतन रु० १९००/- के उपरान्त उपलब्ध येड येतन रु० २०००/- को इग्नोर किया जायेगा, फलस्वरूप प्रथम/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु येड येतन रु० १९००/- से अगला येड येतन रु० २४००/- माना जायेगा।

उदाहरण- याहन यात्रक के पद का येड येतन रु० १९००/- है। १० वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पर उसे प्रथम ए०सी०पी० के रूप मे शासनादेश ०८ दिसम्बर, २००८ के सलग्नक-२३ की तालिका मे उपलब्ध येड येतन रु० १९००/- से अगला येड येतन रु० २०००/- के बद्दल इसे इग्नोर करते हुए येड येतन रु० २४००/- देय होगा।

— १ —

(19) किसी संवग में वरिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति के फलस्वरूप अनुमन्य यौद तथा कनिष्ठ कर्मचारी को ४०सौ०पी० की व्यवस्था में अनुमन्य यौद वेतन से विक्षेपिता की स्थिति से उत्पन्न विसंगति का निराकरण किये जाने हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को जिम्लानुसार लाभ अनुमन्य कराया जायेगा।

"संवग में किसी कर्मचारी को पदोन्नति पर प्राप्त यौद वेतन अथवा इसके उपरान्त ४०सौ०पी० की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन में प्राप्त यौद वेतन किसी कनिष्ठ कार्मिक को प्राप्त हो रहे वित्तीय स्तरोन्नयन में अनुमन्य यौद वेतन से विक्षेपिता की स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ के समान वित्तीय स्तरोन्नयन कनिष्ठ को देय तिथि से अनुमन्य कराया जायेगा। उपर्युक्त लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा, जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की भती का श्रोत एवं सेवा शर्ते समान हो तथा यह भी कि वरिष्ठ कार्मिक की यदि पदोन्नति न हुयी होती तो वह विक्षेपिता पर कनिष्ठ कार्मिक को ४०सौ०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से समान वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए आहे होता। उपर्युक्तानुसार कनिष्ठ के दिनांक से वरिष्ठ को वित्तीय स्तरोन्नयन अनुगन्य किये जाने की स्थिति में यदि उसका वेतन कनिष्ठ से कम होता है तो उसे कनिष्ठ के बराबर किया जायेगा किन्तु यदि उसका वेतन कनिष्ठ से अधिक होता है तो उसे कम नहीं किया जायेगा।"

उदाहरण- वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान में प्रथम पदोन्नति वेतनमान दिसम्बर, 2001 में प्राप्त हुआ और उसकी पदोन्नति दिसम्बर, 2005 में समयमान वेतनमान के रूप में प्राप्त कर रहे वेतनमान में ही हो जाती है तो वह दिनांक ०१ दिसम्बर, 2008 को घारित पद के साधारण वेतनमान जाता है। फलस्वरूप उसे उस पद पर मिल रहे यौद वेतन से अगला सीधी भती की भोति अगले 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा अर्थात् 2015 में अनुगन्य होगा। कनिष्ठ कर्मचारी जिसे 14 वर्ष की २ समयमान वेतनमान दिसम्बर, 2005 में प्राप्त हुआ और उसकी पदोन्नति हुयी। ऐसी कनिष्ठ कर्मचारी को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक ०१ दिसम्बर, 2008 को ही उसे वेतनमान में मिल रहे यौद वेतन से अगला यौद वेतन प्राप्त हो जायेगा। वरिष्ठ कर्मचारी की यदि पदोन्नति न हुयी होती तो उसे भी कनिष्ठ की तिथि अथवा उसके पूर्व ही कनिष्ठ को अनुमन्य हुआ वेतनमान द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त हो जाता। ऐसे मामले में वरिष्ठ को भी कनिष्ठ की अनुमन्यता की तिथि से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में कनिष्ठ के समान यौद वेतन अनुमन्य कर दिया जायेगा और अविष्य में तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन भी कनिष्ठ की भोति सेवा मानते

उदाहरण-1 किसी कार्मिक की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति 02 जनवरी, 2000 को हुयी। सगयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत पदोन्नति/अग्रला वेतनमान अनुमत्य नहीं हुआ। ए०सी०सी० की व्यवस्था उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन 10 वर्ष से अधिक की सन्तोषजनक सेवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमत्य हुआ। उसकी 16 वर्ष की कुल सेवा दिनांक 02 जनवरी, 2011 को पूर्ण हो रही है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार उसे 02 जनवरी, 2011 से अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने की स्थिति में द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा, यद्यपि दिनांक 02 जनवरी, 2011 को उसकी सेवाएं प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से 06 वर्ष पूर्ण नहीं हो रही है।

उदाहरण-2 किसी कार्मिक की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति 05 मार्च, 2000 को हुयी। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पूर्व एवं दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के उपरान्त उसकी प्रथम पदोन्नति दिनांक 05 फरवरी, 2009 को ही जाती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 05 फरवरी, 2009 से 06 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के दिनांक 05 फरवरी, 2015 से देय होगा।

उदाहरण-3 किसी कार्मिक की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति 05 मार्च, 2000 को हुयी। 10 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के दिनांक 05 मार्च, 2010 से प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किया गया। इसके उपरान्त उसकी प्रथम पदोन्नति दिनांक 02 जून, 2012 को हो जाती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 05 मार्च, 2010 से 06 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के दिनांक 05 मार्च, 2016 से देय होगा।

(ग) उपर्युक्त श्रेणी के कार्मिकों को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन, द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमत्य शेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा अथवा उक्त पद के सन्दर्भ में कुल 26 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

सम्बन्धित पदधारक को यदि प्रथम और द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन एक ही दिनांक को देय होता है, तो यह मानते हुए कि उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से प्राप्त हो चुका है, सीधे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमत्यता के दिनांक को देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन एक ही दिनांक को देय होने पर यह मानते हुए कि उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से प्राप्त हो चुका है, सीधे अनुमत्यता में वेतन निर्धारण का ताज़ा देय न होगा। काल्पनिक

उदाहरण-1 किसी कार्मिक की सीधी भती से नियमित नियुक्ति 02 जनवरी, 1995 को हुयी। समयमान येतनगान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 50 पदोन्नति/अगला येतनगान अनुग्रन्थ नहीं हुआ। ए0सी0पी0 की व्यवस्था गै उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन 10 वर्ष से अधिक की सन्तोषजनक सेवा पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुग्रन्थ हुआ। उसकी 16 वर्ष की कुल सेवा दिनांक 02 जनवरी, 2011 को पूर्ण हो रही है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार उसे 02 जनवरी, 2011 से अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने की स्थिति में द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा, यद्यपि दिनांक 02 जनवरी, 2011 को उसकी सेवाएं प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से 06 वर्ष पूर्ण नहीं हो रही है।

उदाहरण-2 किसी कार्मिक की सीधी भती से नियमित नियुक्ति 05 मार्च, 2000 को हुयी। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पूर्व एवं दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के उपरान्त उसकी प्रथम पदोन्नति दिनांक 05 फरवरी, 2009 को हो जाती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 05 फरवरी, 2009 से 06 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के दिनांक 05 फरवरी, 2015 से देय होगा।

उदाहरण-3 किसी कार्मिक की सीधी भती से नियमित नियुक्ति 05 मार्च हुयी। 10 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के दिनांक 2010 से प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किया गया। इससे उसकी प्रथम पदोन्नति दिनांक 02 जून, 2012 को हो जाती है तो वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक 05 मार्च, 2010 से 06 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के दिनांक 05 मार्च, 2016 से देय होगा।

(ग) उपर्युक्त क्षेणी के कार्मिकों को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन, द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुग्रन्थ योड़ येतन में 10 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा अथवा उक्त पद के सन्दर्भ में कुल 26 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

सम्बन्धित पदधारक वह बहिरात्मक और द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन एक ही दिनांक को देय होता है, तो वह जानते हुए कि उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से प्राप्त हो चुका है, तो द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुग्रन्थित के दिनांक को देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय और दूसी वित्तीय स्तरोन्नयन एक ही दिनांक को देय होने पर यह जानते हुए कि उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से प्राप्त हो चुका है, तो दूसी वित्तीय स्तरोन्नयन अनुग्रन्थित के दिनांक को देय होगा। काल्पनिक अनुग्रन्थित में उसका विवरण का ताजा देय न होगा।

फक्शनल वैतनमान दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से समाप्त हो गया। अब प्रदेश में केवल फार्मासिस्ट के पद पर नान फक्शनल वैतनमान देय है। अतः अन्य किसी सेवा संवर्ग/पद पर नान फक्शनल वैतनमान देय न होने के कारण उसे इग्नोर किये जाने की स्थिति नहीं बनेगी। फार्मासिस्ट ग्रेड वैतन ₹0 2800/- के पद पर दो वर्ष की सेवा पर ग्रेड वैतन ₹0 4200/- नान फक्शनल वैतनमान के रूप में देय है। फार्मासिस्ट के पद पर 10 वर्ष की नियमित सत्रोन्नयन की सेवा पूर्ण होने पर उसे प्रथम वित्तीय सत्रोन्नयन के रूप में (ग्रेड वैतन ₹0 4200/- जो उसे नान फक्शनल वैतनमान के रूप में प्राप्त हुआ है, को इग्नोर करते हुए) ग्रेड वैतन ₹0 1600/- देय होगा।

- (6) किसी पद का वैतनमान/ग्रेड वैतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय सत्रोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवाओं की गणता में पूरे वैतनमान/ग्रेड वैतन तथा उच्चीकृत वैतनमान/ग्रेड वैतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वैतन से अगला ग्रेड वैतन वित्तीय सत्रोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय सत्रोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त यदि उस पद (जिसके सन्दर्भ में उसे अस्त वित्तीय सत्रोन्नयन अनुमन्य हुआ है) का वैतन बैण्ड/ग्रेड वैतन उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकृण की तिथि से वित्तीय सत्रोन्नयन प्राप्त कार्मिक का वैतन बैण्ड/ग्रेड वैतन भी तदनग्न उच्चीकृत हो जायेगा।

परन्तु किसी पद का ग्रेड वैतन निम्नीकृत (Down Grade) कलस्वरूप यदि सम्बन्धित पद पर पूर्ण से कार्यरत कार्मिकों को पद का ग्रेड वैतन वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया गया हो तो उन्हे ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय सत्रोन्नयन के रूप में उक्तानुसार वैयक्तिक अनुमन्य ग्रेड वैतन का अगला ग्रेड वैतन वैयक्तिक रूप से देय होगा।

ऐसे पद पर पूर्ण से कार्यरत कार्मिक को यदि कोई वित्तीय सत्रोन्नयन अनुमन्य हो चुका है तो उसे प्राप्त हो रहे ग्रेड वैतन को निम्नीकृत नहीं किया जायेगा।

इसके उपरान्त अगला वित्तीय सत्रोन्नयन देय होने पर उसे प्राप्त हो रहे वैयक्तिक ग्रेड वैतन से अगला ग्रेड वैतन देय होगा।

उदाहरण-1 दिनांक 01 जनवरी, 2006 से सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद का ग्रेड वैतन ₹0 4600/- था। ए०सी०पी० की व्यवस्था में 10 वर्ष की सेवा पर समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रथम वित्तीय सत्रोन्नयन के रूप में ग्रेड वैतन ₹0 4800/- देय था। दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से समीक्षा अधिकारी के पद

स्वास्थ्य संख्या-वे03A0-2-773(1)/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 जून 2014

■ संलग्नक

पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अनुमत्य वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निधारण की प्रक्रिया

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए0सी0पी0 की व्यापस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमत्य होने पर सम्बन्धित कानूनिक कानून वित्तीय विधम संबंध स्पष्ट-2 भाग-2 से 4 के मूल विधम 22वी(1) के अनुसार विधारित किया जायेगा। होने पर वित्तीय विधम-23(1) के अन्तर्गत यह प्रकल्प होगा कि यह वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमत्य होने की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से बेतत निधारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निधारण निम्नानुसार किया जायेगा :--

(1) यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमत्य होने पर निम्न शेड वेतन की वेतनवृद्धि की तिथि से बेतत निधारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमत्य होने की तिथि को बनेमान वेतन शेड से वेतन अपारिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमत्य शेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात् 01 जुलाई को वेतन प्रवर्तित होगा। इस तिथि को सम्बन्धित सेवक को दो वेतनवृद्धियों, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी वेतनवृद्धि वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप देय हो। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमत्य होने के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरण स्वरूप, यदि स्तरोन्नयन के अनुमत्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन ₹0 100 प्रथम वेतन वृद्धि की गणना ₹0 100 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि ₹0 103 पर की जायेगी।

(2) यदि सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमत्य होने की तिथि से वेतन निधारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमत्य गेट वेतन में उत्तम वेतन निधारण विधारित किया जायेगा। वेतन गेट वेतन निधारण विधारित की गणना वेतन शेड में वेतन तथा बनेमान शेड वेतन के बीच की 10 प्रतिशत घाराणि को अगले 10 में पूर्णांगत करते हुए एक वेतनवृद्धि

3- समयमान वेतनमान की पूरी व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन सरचना में दिला 30 नवम्बर, 2008 तक यथावत लागू है। पुनरीक्षित वेतन सरचना में दिला 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समयमान वेतनमान की पूरी व्यवस्था के अन्तर्गत देय लागू नियमानुसार अनुमत्य कराये जायेंगे :-

- (1) 08 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की घनराश की गणना सम्बन्धित पदधारक को तत्समय अनुमत्य मूल वेतन (वैण्ड वेतन+बैड वेतन) के 03 प्रतिशत की दर से आगणित घनराशि को अगले 10 रु0 में पूर्णकित करते हुए की जायेगी। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।
- (2) 14 एवं 24 वर्ष की सेवा के आधार पर कमशः प्रथम अवश्या द्वितीय प्रोन्टनीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं बैड वेतन अनुमत्य होने पर अनुमत्यता की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन प्रोन्टनीय/अगले वेतनमान के रूप में देय बैड वेतन अनुमत्य कराते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन) अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन यहि उस बैड वेतन में सीधी भत्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित पदधारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।
- (3) वेतन बैण्ड रु0 15600-39100 एवं बैड वेतन रु0 5400/- तथा उससे उच्च वेतन बैण्ड अवश्य बैड वेतन के पटी पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन बैड अनुमत्य होने पर पूरी उप प्रस्तर-2 एवं 3 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वेतन की कार्रवाही की जायेगी।
- (4) समयमान वेतनमान की पूरी व्यवस्था के अन्तर्गत समयावधि के आधार पर वैयक्तिक वेतनमान अनुमत्य होने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी वैयक्तिक वेतनमान में वास्तविक रूप से पटोन्नति/नियुक्ति प्राप्त होने की वैयक्तिक में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नियोगण 03 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।
- (5) सवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूरी व्यवस्था के अन्तर्गत देय लागू अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुगम्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमत्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुगम्य वेतन के बराबर नियोगित कर दिया जायेगा।

	(ii) अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं शेड वेतन।	₹0 5200 20200 एवं ₹0 1800/-
	(iii) अनुसेवक "सी" को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं शेड वेतन।	₹0 5200 20200 एवं ₹0 2400/-
5-	दिनांक 08 सितम्बर, 2010 को समूह "ए" अनुसेवक के पद पर अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं शेड वेतन	₹0 5200- 20200 एवं ₹0 1800/-
6-	<p>समूह "घ" अनुसेवक के पद पर वेतन बैण्ड एवं शेड वेतन संशोधित/उच्चीकृत होने के फलस्वरूप दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से काल्पनिक तथा दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से वास्तविक रूप से निम्नानुसार देय होगा :--</p> <p>(i) अनुसेवक "ए" को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं शेड वेतन।</p> <p>(ii) अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैण्ड एवं शेड वेतन।</p> <p>(iii) अनुसेवक "सी" को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैण्ड एवं शेड वेतन।</p> <p>नोट:- उच्चीकरण के गामती में वेतन निर्धारण में उच्चीकृत शेड वेतन ही देय होगा, वेतनानुद्धि नहीं।</p>	₹0 5200 20200 एवं ₹0 1900/- ₹0 202 ₹0 ₹0 2020 ₹0 22

उदाहरण-3 कोई पद वेतन बैण्ड-2 एवं शेड वेतन ₹0 4600/- का था। इस पद के पदधारकों में से किसी एक पदधारक जो प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में शेड वेतन ₹0 4800/- स्वीकृत हुआ था तथा अन्य कोई एक पदधारक पद के साथारण वेतनग्रान मैं था। इसके उपरान्त पद का शेड वेतन ₹0 4600/- से निम्नीकृत कर ₹0 4200/- इस प्रतिक्रिय के साथ किया गया कि इस पद के वर्तमान पदधारकों को शेड वेतन ₹0 4600/- वैयक्तिक रूप से देय रहेगा।

ऐसी आगते मै योगीयों की व्यवस्था के लाभ निम्नानुसार देय होंगे :--

(म) पद का शेड वेतन निम्नीकृत होने के उपरान्त नियुक्त होने वाले कार्यक को

पदोन्नति उपर्युक्त लाभ प्राप्त करने के अधारान्त निम्न वेतनमान जो अदिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पश्चात समाज/उच्च वेतनमान (साइर्श वेटन बैंड एवं गोड वेटन) में हो जाती है तो तृतीय ए०सी०पी० की अनुमन्यता दिये ऐसी पदोन्नति का संज्ञान नहीं लिया जायेगा और उसे अनुमन्यता की ताकि को प्राप्त हो रहे गोड वेटन से अगला गोड वेटन देय होगा।

परन्तु

दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य पौँजीतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के साइर्श बैंड वेटन पुनरीक्षित वेतन सरचना में वेतनमाली के समिलियन/पटी के उच्चीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पद के साधारण बैंड वेटन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा पदोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए०सी०पी० की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा और उसकी कुल सेवावधि को सम्बन्धित पद पर की गयी रीता गान्ते हुए ए०सी०पी० का लाभ देय होगा।

(iv) वरिष्ठ कार्मिक लो समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक पदोन्नति/अगला वेतनमान अनुमन्य होने और कनिष्ठ कार्मिक लो ए०सी०पी० के रूप में प्रथम/द्वितीय ए०सी०पी० अनुगम्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ का वेतन, कनिष्ठ के सापेक्ष कम होने से उत्पन्न विसंगति के निराकरण हेतु वरिष्ठ का वेतन भी कनिष्ठ के समान विसंगति के दिनांक से कर दिया जायेगा। उपर्युक्त लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्त समान हो।

(v) यदि सम्बन्धित कार्मिक दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को धारित पद के सापेक्ष समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत है तो पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता हेतु जिन तदर्थे सेवाओं को गणना में लिया जा चुका है, ए०सी०पी० की व्यवस्था में आगे वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु गणना में लिया जायेगा। जिन कार्मिकों को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में 08 यष्टि की सेवा के आधार पर वेतनवृद्धि दिये जाने हेतु तदर्थे सेवाओं को जोड़ा गया है, उन्हें ए०सी०पी० का लाभ दिये जाने हेतु भी तदर्थे सेवाओं को जोड़ा जायेगा।

ए०सी०पी० की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन अनुगम्य होने पर वेतन नियोरण नक-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की गोड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुगम्य हुआ है, में नियमित रूप होने पर कोई वेतन नियोरण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद